



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-581

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 312475 दिनांक 06/07/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Narmda Devi W/o Suraj Mal Bunkar	श्री संजय बिनायका पुत्र स्वरूप चन्द	255A	91.66 SQ. YARD	Private	VINAYAK ENCLAVE	Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) Original Lease Deed (Patta)	आवेदिका श्रीमती नर्मदा देवी पत्नी श्री सूरजमल द्वारा निजी खातेदारी की योजना विनायक एनक्लेव के भूखण्ड संख्या 255ए क्षेत्रफल 91.66 व.ग. के लीजहोल्ड से फ्री होल्ड पट्टे हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखण्ड संख्या 255 क्षेत्रफल 183.33 व.ग. की लीजडीड दिनांक 22.03.2010 को श्री संजय बिनायका पुत्र स्वरूप चन्द के पक्ष में ही जारी की गई है। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड संख्या 255 क्षेत्रफल 183.33 व.ग. का जविप्रा द्वारा दिनांक 16.11.2021 को



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

नाम
हस्तान्तरण/उपविभ
ाजन पत्र श्री
कन्हैया
खण्डेलवाल पुत्र
भगवान दास के
पक्ष में जारी किया
गया। तत्पश्चात
उक्त उप
विभाजित भूखण्ड
संख्या 255ए
क्षेत्रफल 91.66
व.ग. को श्री
कन्हैया
खण्डेलवाल पुत्र
भगवान दास
द्वारा जरिये
पंजीकृत विक्रय
पत्र दिनांक
21.11.2023 को
श्रीमती नर्मदा देवी
पत्नी श्री सूरजमल
को बेचान किया
गया।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Narmda Devi W/o Suraj Mal Bunkar को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004